दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग-I

(कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण)

बुधवार, 2 अगस्त, 2000 / श्रावण 11, 1922 (शक)

क्रमांक 37

1. पूर्वाह्न 11.00 बजे — राष्ट्रीय गीत - वन्देमातरम्

2. पूर्वाह्न 11.02 बजे — शोकसंवेदना : सदन ने निम्नलिखित के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की :-

   1. श्री भगवान दास वर्मा,
      पूर्व सदस्य, अन्तरिम महानगर परिषद (1966) ।
   2. श्री राजेश पायलट,
      पूर्व सांसद और केन्द्रिय मंत्री ।
   3. अमरनाथ के तीर्थयात्रियों की पहलगाँव (जम्मू एवं कश्मीर) में निरर्थक हत्या ।

   सदन ने दिवंगत आत्माओं के सम्मान में 2 मिनट का मौनधारण किया ।

3. पूर्वाह्न 11.30 बजे — डा. जगदीश मुखी, भाजपा विधायक दल के नेता ने पानी और बिजली तथा वर्तमान सत्र की अवधि बढ़ाने पर चर्चा कराने के संबंध में दी गई अपनी सूचना का मामला उठाया ।

माननीय अध्यक्ष की व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि सदन को आहूत/सत्रावसान मुख्य मंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर माननीय उपराज्यपाल के आदेश द्वारा किया जाता है । मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद

....2..

यह निर्णय करती है कि सत्र कब और कितनी अवधि के लिए बुलाया है, तथापि उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री से विचार विमर्श किया है, जो मानसून सत्र जल्द ही बुलाने पर सहमत हो गई है । इसलिए उन्होंने प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान नहीं की ।

डा. मुखी द्वारा नियम 107 के अधीन पानी और बिजली पर अल्पकालीक चर्चा की मांग के संबंध में माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि यह प्रस्ताव नियमानुसार नहीं था ।

4. पूर्वाह्न 11.40 बजे — सदस्यों द्वारा बहिर्गमन

व्यवस्था से संतुष्ट न होने के कारण विपक्ष के सदस्यों ने बहिर्गमन किया ।

5. पूर्वाह्न 11.41 बजे — माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

श्री जगदीश आनन्द ने सदन द्वारा 9.4.1999 को पारित संकल्प को सरकार द्वारा लागू न करने से संबंधित अपने द्वारा दिये गये सदन की अवमान और विशेषाधिकार हनन की सूचना से संबंधी मामले को उठाया । माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि संकल्प सदन की केवल इच्छा व्यक्त करते है और सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होते है । इसके अलावा, सूचना में न तो किसी दोषी व्यक्ति का जिक्र किया गया था न ही उसके समर्थन में कोई दस्तावेजी सबूत संलग्न किया गया था इसलिए सूचना ग्राह्य नहीं थी ।

... 3 ..

6. पूर्वाह्न 11.44 बजे संकल्प

डा. वालिया, शहरी विकास मंत्री ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया :-

"यह सदन संकल्प करता है कि क्योंकि दिल्ली में भवन उप-नियमों के उल्लंघन हेतु अतिरिक्त जुर्माना एवं भूमि की दर पर मुआवजा करने के बारे में दिल्ली की 1071 अनाधिकृत कालोनियों के नियमन के संबंध में केन्द्र सरकार की शर्तें अत्यधिक कठोर हैं और दिल्ली के निर्धन व्यक्तियों को दण्डित करने के समान हैं, इसलिये यह सदन सिफारिश करता है कि इन शर्तों को पूर्णतया रद्द कर दिया जाये ।"

"यह सदन यह भी संकल्प और सिफारिश करता है कि अनाधिकृत कालोनियों के नियमन हेतु ये तिथि 31 मार्च, 1993 की बजाय 31 मार्च, 1998 कर दी जाये, क्योंकि इस बीच सात साल का लम्बा अन्तराल पहले ही बीच चुका है । इस सदन का विश्वास है कि ऐसा करना दिल्ली की उन अल्प अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले लोगों की, जो बाद में बनी हैं, समस्याओं के समाधान की दिशा में अधिक व्यावहारिक, यथार्थवादी और ईमानदार कदम होगा क्योंकि इससे उन कालोनियों और 238 कालोनियों के नियमन की प्रक्रिया में आसानी होगी, जिनकी सिफारिश तो प्राप्त हो गई थी किन्तु जिन्हे 1071 कालोनियों की सूची में शामिल नहीं किया गया था ।"

"यह सदन यह भी संकल्प और सिफारिश करता है कि पहले से ही घोषित की गई 1071 कालोनियों के साथ-साथ अन्य कालोनियों, जो 31 मार्च, 1998 की कट ऑफ डेट के मानदण्डों को पूरा करती हैं, उनके नियमन की शर्तें ऐसी मार्गदर्शक नीति पर आधारित होनी चाहिये, जो पूर्व प्रधान मंत्री

....4..

स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गाँधी द्वारा 1976-77 में अपनाई गई थी ताकि ये कालोनियाँ भी केवल विकास प्रभारों के भुगतान के आधार पर जो संबंधित स्थानीय निकायों द्वारा तय की जायेंगी, नियमित की जा सकें ।"

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

1. श्री सुभाष चोपड़ा
2. डा. जगदीश मुखी
3. श्री जिले सिंह चौहान

7. अपराह्न 01.08 बजे — सदन दोपहर के भोजन हेतु स्थगित किया गया ।

8. अपराह्न 02.02 बजे — सदन पुनः समवेत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा वाद-विवाद में माननीय उपराज्यपाल के नामोल्लेख के संबंध में व्यवस्था ।

माननीय सदस्य (श्री जगदीश आनन्द) ने स्पष्टिकरण मांगा कि क्या दिन की कार्यसूची के मुद्दे पर विचार-विमर्श करते हुए माननीय उपराज्यपाल का नाम लिया जा सकता है । माननीय अध्यक्ष ने प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम में विभिन्न प्रावधानों का जिक्र करते हुए व्यवस्था दी कि माननीय अध्यक्ष के चरित्र या आचरण के संबंध में कोई चर्चा नहीं की जा सकती । तथापि शासकीय अथवा सार्वजनिक क्षमता के अन्तर्गत उनके द्वारा निष्पादित कार्य-कलापों का उल्लेख किया जा सकता है ।

9. अपराह्न 02.07 बजे — डा. ए.के. वालिया, शहरी विकास मंत्री द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर आगे चर्चा :-

4. श्री मुकेश शर्मा
5. श्री नन्द किशोर गर्ग

(वित्त मंत्री ने हस्तक्षेप किया)

...5..

6. श्रीमती किरण वालिया
7. श्री अजय माकन
8. श्री साहब सिंह चौहान
9. श्री रमाकान्त गोस्वामी
10. श्री महाबल मिश्रा
11. श्रीमती मीरा भारद्वाज
12. श्री हरशरण सिंह बल्ली

10. अपराह्न 04.04 बजे — सदन जलपान के लिए स्थगित किया गया ।

11. अपराह्न 04.30 बजे — सदन पुनः समवेत हुआ ।

डा. ए.के. वालिया, शहरी विकास मंत्री द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर आगे चर्चा :-

13. श्री भीष्म शर्मा
14. श्री तरविन्दर सिंह मारवाह
15. श्री महेन्द्र यादव
16. श्री नसीब सिंह
17. डा. हर्ष वर्धन
18. श्री राये श्याम खन्ना
19 श्री रूप चन्द
20. श्री हारून युसुफ
21. श्री शीश पाल
22. श्री राम भज
23. श्री टेक चन्द शर्मा
24. श्री पी.सी. कौशिक
25. श्री मतीन अहमद
26. श्री चरण सिंह कण्डेरा
27, श्री मोहन सिंह बिष्ट
28. श्री सुरेन्द्र कुमार
29. श्री माला राम गंगवाल

...6..

30. श्री ब्रह्म पाल
31. श्री जय भगवान
32. श्री शादी राम
33. श्री जगदीश आनन्द
34. श्री वीर सिंह
35. श्री अमरीश सिंह गौतम
36. श्री एस. सी. वत्स

13. सायं 06.27 बजे — श्रीमती शीला दीक्षित, मुख्य मंत्री ने चर्चा का जवाब दिया

मुख्य मंत्री ने माननीय राष्ट्रपति महोदय को दिये गये ज्ञापन की एक प्रति भी सदन पटल पर रखी ।

14. सायं 06.29 बजे — तब माननीय अध्यक्ष महोदय ने उन माननीय सदस्यों को जिन्होंने संशोधन के प्रस्ताव दिये थे, एक-एक करके अपने संशोधन प्रस्तुत करने को कहा :-

श्री मुकेश शर्मा ने निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किया :-

"यह सदन भारत सरकार से अनुशंसा करता है कि उन सभी कालोनियों को, जो खेती की जमीन पर बनीं हैं और जिन्हें अभी तक मुआवजे का भुगतान करना बाकी है, निजी भूमि पर बसा हुआ माना जाये और भविष्य में अनधिकृत कालोनि के नियमन से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्न को दिल्ली के विधिवत् चुनी हुई सरकार से उचित परामर्श करने के बाद ही सुझाया जाये ।"

शहरी विकास मंत्री के अनुरोध करने पर माननीय सदस्य ने अपना संशोधन वापस ले लिया ।

2. श्री मुकेश शर्मा ने निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किया:-

"कि दिल्ली की सरकार 10 अगस्त, 2000 को माननीय उच्च न्यायालय में होने वाली अगली सुनवाई में मामले की पैरवी के लिए उपस्थित होना चाहिये और माननीय उच्च

न्यायालय में अनधिकृत कालोनियों के नियमन के संबंध में वर्ष 1976-77 में स्व. श्रीमती इन्दिरा गाँधी द्वारा बनाई गई नीतियों/लिये गये निर्णय के अनुसार वर्ष 1998 तक के लिए एक शपथ पत्र दाखिल करके अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए ।"

"यह सदन आगे यह भी संकल्प करता है कि दिल्ली सरकार को यदि आवश्यकता पड़े तो मुकदमा प्रभावपूर्ण ढंग से लड़ना चाहिये और वरिष्ठ वकीलों का एक नया पैनल नियुक्त करना चाहिये ।"

शहरी विकास मंत्री के अनुरोध करने पर माननीय सदस्य ने अपना संशोधन वापस ले लिया ।

डा. जगदीश मुखी ने निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किये :-

(1) प्रथम पैराग्राफ की प्रथम पंक्ति में शब्द "संकल्प" के स्थान पर "स्वागत" शब्द पढ़ा जाये ।

(2) प्रथम पैराग्राफ में "अनधिकृत कालोनियों" के बाद स्थित शेष शब्दों को हटा दिया जाये ।

संशोधनों को मतदान हेतु रखा गया और ध्वनिमत से अस्वीकृत हुआ ।

श्री नन्द किशोर गर्ग ने निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किया :- "दूसरे पैराग्राफ में" मार्च 1998" के स्थान पर"31 जुलाई, 200 को प्रतिस्थापित किया जाये" ।

संशोधनों को मतदान हेतु रखा और ध्वनिमत से अस्वीकृत हुआ श्री साहब सिंह चौहान ने निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किया:- "दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार द्वारा 11 सितम्बर, 1998 को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर हलफनामे के अनुसार यह धनराशि रू 514/- प्रति वर्ग मीटर से अधिक नहीं बढ़नी चाहिये । हालांकि सार्वजनिक भूमि पर बनी अनधिकृत कालोनियों से भूमि अधिग्रहण मूल्य यानि बिनालाभ

हानि के आधार पर वो भी उनके नियमन हेतु भूमि का मूल्य आसान किस्तों पर वसूल की जानी चाहिये ।"

संशोधन मतदान हेतु रखा गया और ध्वनि मत से अस्वीकृत हुआ ।

श्री शीशराम ने निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किये :-

"यह सदन केन्द्र सरकार से मांग करता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम 1991 में समुचित बदल कर दिल्ली में समस्त भूमि दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में दे तथा दिल्ली सरकार को अनाधिकृत कालोनियों के नियमीकरण के अधिकार दे ।"

संशोधन मतदान हेतु रखा गया और ध्वनिमत स्वीकृत हुआ

15. सायं 7.24 बजे — माननीय अध्यक्ष ने संशोधित संकल्प मतदान हेतु रखा और वह ध्वनिमत से पारित हुआ ।

16. सायं 7.25 बजे — सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुआ ।

(एस. के. शर्मा)
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

BULLETIN PART I

(BRIEF RECORD OF PROCEEDINGS)

Wednesday, August 02, 2000/ Shravan 11, 1922 (Saka)

No : 37

1. 11.00 AM — National Song - Vande Mataram.

2. 11.02 AM — **OBITUARY** : House made obituary references on the passing away of the following :-

   1. Shri Bhagwan Dass Verma
      Former Member, Interim Metropolitan Council(1966).

   2. Shri Rajesh Pilot
      Former Member of Parliament and Union Minister

   3. Massacre of 35 Amarnath Pilgrims in Pahalgam (Jammu and kashmir).

   The House observed two minutes silence as a mark of respect to the departed souls.

3. 11.30 AM — Dr. Jagdish Mukhi, Leader of the BJP Legislalture Party raised matter relating to his notice for discussion on water and electricity and for extension of the duration of the present Session.

RULING BY HON'BLE SPEAKER

Hon'ble Speaker ruled that summoning/prorogation is ordered by the Lt. Governor on the advice of Chief Minister or the Council of Ministers. It is the Chief Minister or the Council of Ministers who decide as to when a session is to be called and for how much duration. However, he added that he has discussed the matter with the Chief Minister who has agreed to the convening of the Monsoon Session of the Assembly shortly. He has, therefore, not admitted the notice.

As regards the demand by Dr. Mukhi for Short Duration Discussion under Rule 107 on water and electricity problem, the Chair ruled that this notice was not in order.

Contd.....2/-

4. 11.40 AM **WALK-OUT BY MEMBERS**

Not satisfied with the ruling, the Opposition Members staged a walk out.

5. 11.41 AM **RULING BY HON'BLE SPEAKER**

Shri Jagdish Anand raised matter regarding notice of Breach of Privilege and contempt of the House given by him regarding non-implementation of a resolution passed by the House on 09.4.99 by the Govt. Hon'ble Speaker ruled that resolutions only expresses the will of the House and are not binding on the Govt. Moreover, the notice neither indicated the individual guilty thereof nor was supported by any documents and hence was inadmissible.

6. 11.44 AM **RESOLUTION**

Dr. A.K. Walia, Minister of Urban Development moved the following resolution :

"This House resolves that the recent announcement of the Union Government regarding regularisation of 1071 unauthorised colonies in Delhi with extremely harsh conditions regarding payment of land rate with penalties and additional penalty for violation of building bye-laws etc. is highly unjustified and amounts to penalising the poor people of Delhi and, therefore, recommends that these conditions should be waived off completely.

"It further resolves and recommends that the cut-off date for regularisation of unauthorised colonies should be changed to 31st March,1998 for the reason that a long period of more than seven years has elapsed since 31st March,1993. This House believes that it will be a far more pragmatic, realistic and sincere solution to the problem of people of Delhi living in other unauthorised colonies which came up subsequently as it will facilitate their inclusion and also those 238 colonies for regulalrisation, recommendations for which were received but were not included in the list of 1071 colonies."

"It further resolves and recommends that the terms and conditions for regularisation of the already announced 1071 colonies as well as others which fulfil the criteria within the cut-off date of 31st March,1998 should be based on the policy guidelines as were adopted by the late Prime Minister Smt. Indira Gandhi in 1976-77 so that these colonies also get regularised on the basis of payment of development charges alone which may be fixed by the concerned local authorities."

Contd.....3/-

The following Members participated in the debate :-

1. Shri Subhash Chopra
2. Dr. Jagdish Mukhi
3. Shri Jile Singh Chauhan

7. 13.08 PM House adjourned for LUNCH

8. 02.02 PM House re-assembled.

RULING BY SPEAKER REGARDING REFERENCE OF LT. GOVERNOR IN THE DEBATES

A Member(Shri Jagdish Anand) sought clarification as to whether the name of Lt. Governor could be taken while discussing the subject matter of the day's agenda. The Chair citing various provisions in the Rules of Procedure and Conduct of Business ruled that no discussion could take place about the character or conduct of the Lt. Governor. However, reference could be made to the functions discharged by him in his official or public capacity.

9. 02.07 PM Further discussion on resolution moved by Dr. A.K. Walia, Minister of Urban Development :-

4. Shri Mukesh Sharma
5. Shri Nand Kishore Garg
   (Minister of Finance intervened)
6. Smt. Kiran Walia
7. Shri Ajay Maken
8. Shri Sahab Singh Chauhan
9. Shri Ramakant Goswami
10. Shri Mahabal Mishra
11. Smt. Meera Bhardwaj
12. Shri Harsharan Singh Balli

10. 04.04 PM House adjourned for TEA-BREAK

11. 04.30 PM House re-assembled.

12. Further discussion on the resolution moved by Dr. A.K. Walia, Minister of Urban Development :-

13. Shri Bheeshm Sharma
14. Shri Tarvinder Singh Marwah
15. Shri Mahender Yadav
16. Shri Naseeb Singh
17. Dr. Harshvardhan
18. Shri Radhey Shyam Khanna
19. Shri Roop Chand
20. Shri Haroon Yusuf
21. Shri Shish Pal
22. Shri Ram Bhaj
23. Shri Tek Chand Sharma
24. Shri P.C. Kaushik
25. Shri Mateen Ahmed
26. Shri Charan Singh Kandera
27. Shri Mohan Singh Bisht
28. Shri Surender Kumar
29. Shri Malaram Gangwal
30. Shri Brahm Pal
31. Shri Jai Bhagwan
32. Shri Shadi Ram

33. Shri Jagdish Anand
34. Shri Veer Singh
35. Shri Amrish Singh Gautam
36. Shri S.C. Vats

13. 6.27 PM

Smt. Shiela Dikshit, Chief Minister replied to the debate.

Chief Minister also laid on the Table of the House a copy of the Memorandum submitted to the Hon'ble Rashtrapatiji.

14. 6.29 PM

The Chair then asked the Members who had given notices of amendments to move their amendments one by one :-

1. Shri Mukesh Sharma moved the following amendment :-

"This House recommends to the Govt. of India that all colonies which are existing on agricultural land and the compensation for which is yet to be paid, may be treated as existing on private land and that in future any question with regard to regularisation of unauthorised colonies should be settled only after due consultation/approval of the duly elected Govt. of Delhi".

On being requested by the Minister of Urban Development the Member withdrew his amendment.

2. Shri Mukesh Sharma moved the following amendment :-

"That the Govt. of Delhi in the next hearing in the case to be held on 10th August, 2000 should appear in the matter and file a fresh affidavit in the Hon'ble High Court taking stand on regularisation of colonies as per the decision/policy of the Govt. framed in the year 1976-77 by Late Smt. Indira Gandhi, upto year 1998.

This House also further resolves that Govt. of Delhi should effectively contest the case and if required, may appoint a new panel of senior advocates".

On being requested by the Minister the Member withdrew his amendment.

Contd...5/-

Dr. Jagdish Mukhi moved the following amendments:-

(1) For the words 'resolves' in first para read word 'welcomes'.

(2) After words 'unauthorised colonies' in the first para, the remaining words may be deleted.

The amendments were put to vote and negatived by voice vote.

Shri Nand Kishore Garg moved the following amendment :-

The words 'March 1998' in the Second para may be substituted by words '31st July, 2000'.

The amendment was put to vote and negatived by voice vote.

Shri Sahab Singh Chouhan moved the following amendment :-

that the words in the third para ' may be fixed by the concerned local authorities ' be deleted and the following words be added in its place : ' must not exceed Rs.514/- per sq. meter as per the affidavit filed in the Delhi High Court on 11th September, 1998 by the Govt. of NCT of Delhi. However, unauthorisd colonies on the public land should also be charged land price equivalent to land acquisition price i.e. on No profit, No loss basis that too on easy instalments for their regularisation' be added.

The amendment was put to vote and negatived by voice vote.

// Shri Shish Pal moved the following amendment:-

"This House demands from the Central Govt. that by appropriately amending the National Capital Territory Act 1991, the entire land of Delhi be brought under the purview of Delhi Govt. and Delhi Govt. be also conferred the powers to regularise the unauthorised colonies'.

The amendment was put to vote and adopted by voice vote.

15. 7.24 PM The Hon'ble Speaker put the amended resolution to vote, which was adopted by voice vote.

Contd....6/-

16. 7.25 PM House adjourned sine -die .

(S.K. SHARMA)
SECRETARY